Dr Pradeep Kumar Yadav found guilty of private practice in Chhote Lal Bind hospital. Team of Doctors under direction of CMO Bhadohi carried out this enquiry. After appeal, subsequently, A.D. Mirzapur carried out enquiry itself and upheld earlier findings.

1 message

Mahesh Pratap Singh <yogimpsingh@gmail.com> 1 September 2025 at 17:32
To: SUDHIR KUMAR SINGH <hearingcourts2.upic@up.gov.in>, add.karmik@gmail.com, diradmncamp@gmail.com, cmoald@up.nic.in, cmoald@gmail.com

In the light of fact, the Government took action against the guilty doctor. But CMO Prayagraj is shielding guilty Chhote Lal Bind hospital, Baraut, Prayagraj ipso facto. Lal Bind hospital is guilty of allowing private practice by government doctors. Consequently, CMO Prayagraj is misleading not only the appellant but also the most respected commission.

To
Honourable Presiding Officer,
Court S-2, Uttar Pradesh Information Commission,
Lucknow, Uttar Pradesh.

Subject: Objection to misleading RTI response dated August 2025 from Chief Medical Officer, Prayagraj – Appeal No. A-20241000147. View six page attachment in PDF format.

Respected Sir,

I, **Yogi M. P. Singh**, the appellant in the above-mentioned second appeal under Section 19(3) of the Right to Information Act, 2005, respectfully submit the following objections and legal contentions regarding the communication received from the Chief Medical Officer, Prayagraj:

---

1. Violation of Section 7(1) of the RTI Act, 2005

As per **Section 7(1)** of the RTI Act:

> "The Public Information Officer shall, as expeditiously as possible, and in any case within thirty days of the receipt of the request, either provide the information or reject the request..." indiankanoon

The RTI application was filed on **24/06/2024**, and received by the PIO on **25/06/2024**, but the response was dispatched only in **August 2025**, violating the statutory timeline. This delay is unjustified and attracts penal provisions under **Section 20(1)** of the RTI Act.

---

2. Misleading and Irrelevant Information – Section 20(1) and 20(2)

The response from CMO Prayagraj fails to address the specific queries raised and instead provides irrelevant inspection reports. As per **Section 20(1)**:

> "If the PIO knowingly gives incorrect, incomplete or misleading information... the Commission shall impose a penalty of ₹250 per day, up to ₹25,000." indiankanoon

Further, **Section 20(2)** empowers the Commission to recommend **disciplinary action** for persistent violations. annilaw

---

3. Legal Prohibition on Private Practice by Government Doctors

The **U.P. Government Doctors (Allopathic) Restriction on Private Practice Rules, 1983**, notified under Article 309 of the Constitution, clearly states:

> "A Government doctor shall not be entitled to private practice." – Rule 3 latestlaws

This rule has been upheld in multiple judgments:

Y.P. Singh v. State of U.P. (1982) – Allahabad High Court
Avinash Chandra Srivastava v. State of U.P. (2021) – Allahabad High Court supremetoday

The evidence submitted by CMO Bhadohi clearly indicates that **Dr. Pradeep Kumar Yadav** was engaged in private practice, which is a violation of these rules. The failure of CMO Prayagraj to act on this is a breach of duty.

---

4. Non-Compliance with Supreme Court Guidelines – Writ Petition (Civil) No. 360/2021

In **Kishan Chand Jain v. Union of India**, the Supreme Court directed:

All State Information Commissions must implement **hybrid hearings** and **e-filing systems** by **31 December 2023**.
Public authorities must compile and use **email addresses** for communication. primelegal

Despite this, CMO Prayagraj dispatched a six-page hard copy via registered post, violating the spirit of **digital governance** and causing unnecessary expenditure.

---

5. Administrative Lapses and Lack of Accountability

The RTI sought:

1. Legal provisions allowing private practice at Chhote Lal Bind Hospital.
2. Reasons for inaction despite CMO Bhadohi's communication.
3. Action taken against the hospital and the doctor.

None of these were addressed. This constitutes **administrative misconduct** and **obstruction of transparency**, defeating the purpose of the RTI Act.

Prayer for Relief

In light of the above, I respectfully request the Hon'ble Commission to:

1. **Direct the PIO** to provide point-wise information as originally sought.
2. **Impose penalty** under Section 20(1) for delay and misleading response.
3. **Recommend disciplinary action** under Section 20(2) for persistent non-compliance.
4. **Ensure compliance** with Supreme Court directives on paperless governance.
5. **Issue directions** to prevent misuse of public funds through unnecessary postal communication.

Applicant Details:
Yogi M. P. Singh
Surekapuram Colony, Jabalpur Road,
District-Mirzapur, Uttar Pradesh – 231001
Mobile: 7379105911

Date: 01/09/2025

पंजीकृत/स्पीड पोस्ट

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज।

पत्रांकः मु0चि0अ0/जन सू0अ0अधि0/2025-26/4425 दिनांक. 20 .08.2025

श्री योगी एम0पी0 सिंह,
पुत्र श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह,
निवासी-सुरेकापुरम कालोनी, जबलपुर रोड, मिर्जापुर सिटी,
जिला मिर्जापुर।

विषयः जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राज्य सूचना आयुक्त, उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग, 7/7/ए, आर0टी0आई0 भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ ने अपने नोटिस संख्या. 202507S02N201118 दिनांक. 16.07.2025, पंजीकरण संख्या. ए-20241000147, के द्वारा आपको सूचना प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया है एवं आपके पत्र दिनांक. 24.06.2025 के कम में आप द्वारा मॉगी जा रही सूचना इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
प्रयागराज।

पृष्ठांकन संख्याः मु0चि0अ0/जन सू0अ0अधि0/2025-26/ तद्दिनांक.

प्रतिलिपिः-

1. मा0 राज्य सूचना आयुक्त, उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग, 7/7/ए, आर0टी0आई0 भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को नोटिस संख्या. 202507S02N201118 दिनांक. 16.07.2025 के अनुपालन में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नोडल जन सूचना अधिकारी कार्यालय अधोहस्ताक्षरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
प्रयागराज।

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
प्रयागराज।

सेवा में,

आयुक्त महोदय,
प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।

पत्रांक-मु0चि0अ0/शिका0/निस्ता0/2025-26/ 4106 दिनांक-11.08.2025

विषय-श्री जयचन्द्र मौर्या के दिनांक- 06.08.2025 के शिकायत पत्र निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया श्री जयचन्द्र मौर्या, मनउआ खमरिया मिर्जापुर सदर द्वारा दिनांक-06.08.2025 में की गयी शिकायती प्रकरण को संज्ञान में लेने का कष्ट करें। जिलाधिकारी के निर्देश पर डा0 आर0सी0 पाण्डेय, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं श्री अविनाश यादव, उप जिलाधिकारी हण्डिया प्रयागराज द्वारा जाँच की गयी थी। उक्त जाँच आख्या से शिकायतकर्ता द्वारा किये गये शिकायत की पुष्टी नही पायी गयी।

अत: उक्त के दृष्टिगत शिकायत को निक्षेपित करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
o/c प्रयागराज।

पत्रांक-मु0चि0अ0/शिका0/निस्ता0/2025-26/ 4106 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि-जिलाधिकारी महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
o/c प्रयागराज।

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
प्रयागराज।

सेवा में,

अपर निदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।

पत्रांक-मु0चि0अ0/शिका0/निस्ता0/2025-26/ 3923 दिनांक-05.08.2025

विषय-श्री जयचन्द्र मौर्या के दिनांक- 09/10 जुलाई व 25 जुलाई के शिकायत पत्र निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया श्री जयचन्द्र मौर्या, मनउआ खमरिया मिर्जापुर सदर द्वारा दिनांक-09/10 जुलाई व 25 जुलाई 2025 तथा पूर्व में की गयी शिकायती प्रकरण को संज्ञान में लेने का कष्ट करें। उक्त प्रकरण में अधोहस्ताक्षरी के स्तर से पूर्व में भी जाँच कराकर जाँच आख्या दिनांक-30.06.2025 आपको सादर प्रेषित किया गया था। इसके पूर्व भी जिलाधिकारी के निर्देश पर डा0 आर0सी0 पाण्डेय, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं श्री अविनाश यादव, उप जिलाधिकारी हण्डिया प्रयागराज द्वारा जाँच की गयी थी। उक्त दोनो ही जाँच आख्या से शिकायतकर्ता द्वारा किये गये शिकायत की पुष्टी नही पायी गयी।

अत: उक्त के दृष्टिगत शिकायत को निक्षेपित करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
प्रयागराज।

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,

प्रयागराज।

सेवा में,

अपर निदेशक,

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,

प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।

पत्रांक-मु0चि0अ0/नि0चि0/शिका0/जाँच/आख्या/2025-26/ 2514 दिनांक-30.06.2025

विषय- आई0जी0आर0एस0 संख्या-60000250112919, 60000250112917, 60000250099846, 60000250099847, 60000250099849, 60000250099851 के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया श्री जय चन्द्र मौर्या, मनउआ खमरिया मिर्जापुर सदर द्वारा आई.जी.आर.एस. सन्दर्भ संख्या उपरोक्त से आच्छादित शिकायती प्रकरण को संज्ञान में लेने का कष्ट करें। उक्त प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा छोटे लाल बिन्द अस्पताल जी.टी. रोड बरौत प्रयागराज में डा0 प्रदीप कुमार यादव द्वारा अवैध प्राइवेट प्रैक्टिस करने एवं फर्जी मलेरिया रिपोर्ट एवं गलत इलाज की शिकायत कर प्रकरण की जाँच कर कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया है। डा0 प्रदीप कुमार यादव द्वारा राजकीय सेवा में रहते हुए प्राइवेट प्रैक्टिस किये जाने के प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा प्रेषित पूर्व शिकायती पत्र के क्रम में डा0 आर0सी0 पाण्डेय अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं श्री अविनाश यादव उप जिलाधिकारी हण्डिया प्रयागराज द्वारा की गयी जाँच में डा0 प्रदीप यादव के उक्त चिकित्सालय में निजी चिकित्सा अभ्यास नही किया जा रहा है। जहाँ तक मलेरिया जाँच एवं गलत उपचार का प्रश्न है तो अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिकृत अधिकारियों द्वारा की गयी जाँच में उक्त की पुष्टि नही पायी गयी।

अत: प्रकरण से सम्बन्धित दोनो जाँच आख्या की प्रति संलग्न कर महोदय की सेवा में इस अनुरोध से प्रेषित है कि विषयगत समस्त आई.जी.आर.एस. सन्दर्भ को निक्षेपित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,

प्रयागराज।

प्रेषक,

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
प्रयागराज।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
प्रयागराज।

विषय- आई0जी0आर0एस0 संख्या-60000250112919, 60000250112917, 60000250099846, 60000250099847, 60000250099849, 60000250099851 के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके निर्देशानुसार दिनांक-25.06.2025 को मेरे द्वारा तथा जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी द्वारा छोटे लाल हास्पिटल एण्ड ट्रामा सेन्टर जी0टी0रोड, बरौत प्रयागराज का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण से पूर्व मेरे सामने ही जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी श्री राकेश जायसवाल द्वारा श्री जयचन्द्र मौर्या से दूरभाष पर (मो0न0-8090306360) सम्पर्क किया गया जिसमें श्री मौर्या द्वारा छोटे लाल हास्पिटल आने में असमर्थतता व्यक्त किया।

निरीक्षण के दौरान छोटे लाल हास्पिटल के संचालक/ प्रबन्धक द्वारा डा0 महेन्द्र कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि श्रीमती सरिता मौर्या पत्नी श्री जयचन्द्र मौर्या का इलाज उनके द्वारा किया गया। मलेरिया रिपोर्ट धनात्मक आने के उपरान्त ही प्रोटोकाल के अनुसार मरीज का इलाज किया गया तथा मलेरिया की निर्धारित दवा दी गयी। इलाज में कोई लापरवाही नही बरती गयी। वहाँ पर भर्ती मरीजों से पूँछने एवं अस्पताल के द्वारा दी गई बिल का अवलोकन करने पर अनुचित रूप से शुल्क वसूलने की बात सामने नही आयी।

अस्पताल के मलेरिया रिपोर्ट का रजिस्टर एवं पंजीकरण रजिस्टर एवं मरीजों से लिए गये शुल्क रजिस्टर का अवलोकनपरान्त कोई भी अनियमितता नही पायी गयी।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं
सूचना अधिकारी
प्रयागराज।

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
प्रयागराज।

सेवा में,
जिलाधिकारी महोदय
प्रयागराज।

महोदय,

आप अपने पत्रांक : 867(1)/एस0टी0--2024 दिनांक 08.11.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से आप द्वारा श्री जयचन्द मौर्य (मो0नं0 8090306360) निवासी ग्राम मनौवा, पोस्ट खमरिया, कोलुहा चिल्ह, जनपद मिर्जापुर की जॉच मुझे (उप जिलाधिकारी हंडिया) तथा अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रयागराज को दिया था। उक्त के क्रम में संयुक्त रूप से दिनांक 14.11.2024 को छोंटेलाल हास्पिटल हंडिया का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शिकायतकर्ता श्री जयचन्द्र मौर्य मो0 नं0 8090306360 से वार्ता भी की गयी।

निरीक्षण के दौरान जो तथ्य सामने आये वह निम्नवत् है :--

1. औचक निरीक्षण के समय डॉ0 पी0के0 यादव (प्रदीप यादव) हास्पिटल परिसर में चिकित्सकीय कार्य करते हुए नहीं मिले।
2. छोटे लाल हास्पिटल के संचालक डॉ0 महेन्द्र कुमार द्वारा स्वयं बताया गया कि मेरे हास्पिटल में डॉ0 पी0के0 यादव (प्रदीप यादव) कभी चिकित्सकीय कार्य नहीं किये है (शपथ पत्र संलग्न)।
3. हास्पिटल में कार्यरत पैरामेडिकल स्टॉफ श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र रविन्द्र बिन्द, यशवन्त कुमार बिन्द पुत्र श्री गाजर बिन्द तथा डा0 गुलाम मुस्तफा पुत्र श्री असगर ने भी यह स्वीकार किया है कि डॉ0 पी0के0 यादव (डॉ0 प्रदीप यादव) कभी भी छोंटेलाल हास्पिटल में चिकित्सकीय कार्य करने नहीं आते है (लिखित बयान की प्रति संलग्न)।
4. छोटेलाल हास्पिटल के संचालक से यह पूछे जाने पर श्रीमती सरिता मौर्या पत्नी श्री जयचन्द्र मौर्या का इलाज किसके द्वारा किया गया। संचालक द्वारा बताया गया कि श्रीमती सरिता मौर्या का इलाज मेरे (डा0 महेन्द्र कुमार) द्वारा किया गया था (इलाज से संबंधित बी0एच0टी0 संलग्न)।

उक्त जॉच आख्या महोदय की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित है।

डा0 आर0के0 पाण्डेय
अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
प्रयागराज

अभिषेक यादव
उप जिलाधिकारी
हंडिया, प्रयागराज

Scanned with OKEN Scanner